रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268903
CG-DL-E-30122025-268903

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 831] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2025/ पौष 5, 1947
No. 831] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2025/PAUSHA 5, 1947

राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2025

फा. सं. 2-10/2020-FW.—सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत शासी निकाय के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक सोसायटी), राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी में समूह 'क, ख और ग' पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :-** इन नियमों को राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी (कृषि एवं किसान मंत्रालय के अधीन एक सोसाइटी) कल्याण (समूह 'क, ख और ग') भर्ती संशोधित नियमावली, 2025 कहा जाएगा। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **आवेदन :- ये नियम इन नियमावलियों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1)** में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल :-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनसे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वे होंगे जो **इन नियमावलियों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।**

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं आदि : - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो **उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।**

5. निरर्हता :- कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे :

बशर्ते यदि केन्द्रीय सरकार, संतुष्ट हो जाए, कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अधीन लागू है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकेगी।

6. ये सभी पद प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा के आधार पर भरे जाएंगे और ये पीएम-किसान योजना की समाप्ति के साथ ही पूरी तरह से समाप्त हों जाएँगे।

7. शिथिल करने की शक्ति:- जहां राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी के प्रबंधन की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह शासी निकाय के अनुमोदन से और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के परामर्श से, आदेश द्वारा और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के परामर्श से, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमावली यमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकता है।

8. व्यावृत्ति :- इन नियमावली की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

प्रमोद कुमार मेहरदा, अपर सचिव (FW)

[विज्ञापन-III/4/असा./570/2025-26]

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन पद है या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
1. मुख्य ज्ञान अधिकारी	1 (2025)	प्रशासनिक समूह क	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 ए	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत के मामले में लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
10	11
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)

	क) केंद्र/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी:- i. मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या ii. मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा की हो); या iii. वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा की हो; तथा ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखने वाले:- i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या एम.एससी. (कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी); या ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बीई/बीटेक (कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी)। iii. आईटी परियोजनाओं में योग्यता के बाद बारह वर्ष से अधिक का अनुभव तथा बड़े डाटाबेस से संबंधित आईटी या ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव । iv. डेटा एनालिटिक्स/एआई/एमएल/डेटा साइंस में सरकार की कम से कम 1 परियोजना के कार्यान्वयन में अनुभव। v. एप्लीकेशन विकास, आधुनिक वास्तुकला, परिनियोजन और प्रचालन में अनुभव। वांछनीय योग्यताएं:- (क) मजबूत आईटी सोल्युशन्स के कार्यान्वयन के लिए बिजनेस री-इंजीनियरिंग और कार्यात्मक आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताओं के बारे में डिजिटल परिवर्तन के समग्र पहलुओं की अच्छी समझ। (ख) एआई/एमएल/क्लाउड/एनालिटिक्स/डेटा साइंस और अन्य में भारत सरकार की सिफारिशों के अनुरूप उभरते उद्योग मानक सोल्युशन्स कार्यान्वयन/विकास को आगे बढ़ाना। (ग) एसक्यूएल और एनओएसक्यूएल दोनों में डेटाबेस डिजाइन, विकास और उपकरणों में अच्छा अनुभव और बिग डेटा, ईडीडब्ल्यू, डेटा लेक्स आदि और संबंधित प्रौद्योगिकियों जैसे अपाचे हाडोप, स्पार्क आदि का ज्ञान। (घ) नवीनतम उद्योग मानक प्रौद्योगिकी रुझानों जैसे देव ऑप्स, माइक्रो सर्विसेज, कंटेनरीकरण (डॉकर / कुबेरनेट्स), जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जैसे एमईआरएन, मीन और एआई/एमएल का ज्ञान। (ङ) डेटा सर्वर के साथ प्रमुख क्लाउड प्रदाताओं की क्लाउड सेवाओं का ज्ञान। नोट -1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले आयोजित किसी अन्य एक्स-कैडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक न हो। नोट -2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को '56 वर्ष से अधिक न हो।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
लागू नहीं।	लागू नहीं।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड पे	चयन पद या गैर-चयन
1	2	3	4	5
2. खजांची	1 (2025)	प्रशासनिक समूह 'ए'	लेवल -13 पे मैट्रिक्स में	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की विधि चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और रिक्तियों का प्रतिशत विभिन्न तरीकों से भरा जाना है	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
10	11
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) क) केंद्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी:- i. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पदों को धारण करना या ii. वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में 1 वर्ष की सेवा या मूल कैडर / विभाग में समकक्ष); और iii. वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा या मूल कैडर / विभाग में समकक्ष); और ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव: - i. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री। ii. वित्तीय प्रबंधन, ट्रेजरी प्रबंधन, लेखा, आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षा, कार्यालय प्रशासन और मानव संसाधन प्रबंधन में 12 वर्षों का अनुभव। iii. पदधारी को संपर्क और समन्वय के लिए सरकारी कामकाज से परिचित होना चाहिए। **नोट -1** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले आयोजित किसी अन्य एक्स-कैडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	<u>नोट -2</u> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को '56 वर्ष से अधिक न हो।
यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है**
12	13
लागू नहीं।	लागू नहीं।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन पद हो या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
<u>3. सहायक निदेशक (प्रशासन)</u>	1(2025)	प्रशासनिक समूह ख	वेतन मैट्रिक्स स्तर-8	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नित के मामले में लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
10	11
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) क) केंद्र/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी:- i. मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना अथवा ii. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा के साथ); या iii. मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा की हो); तथा ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखना:- i . किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री। ii. सरकारी / अर्ध-सरकारी कार्यालयों/पीएसयू/स्वायत्त या सांविधिक संगठन/ अनुसंधान संस्थानों में लेखा, प्रशासन, स्थापना कार्य में 2 वर्ष का अनुभव। **<u>टिप्पणी-1</u>** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	<u>टिप्पणी-2</u> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है**
12	13
लागू नहीं।	लागू नहीं।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन पद हो या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
<u>4. लेखा अधिकारी</u>	1 (2025)	प्रशासनिक समूह बी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत के मामले में लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
लागू नहीं	लागू नही	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
10	11
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) क)केंद्र/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अंतर्गत अधिकारी:- i. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या ii. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा की हो; या iii. मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 4 वर्ष की सेवा की हो); या iv. मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा की हो); ख)निम्नलिखित योग्यताएं रखने वाले:- i. केन्द्र/राज्य सरकारों के किसी भी विभाग/संगठन/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों द्वारा आयोजित एसएएस या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

	ii. आईएसटीएम या समकक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में रोकड़ और लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो तथा रोकड़, लेखा और बजट कार्य में न्यूनतम 4 वर्ष का अनुभव हो । टिप्पणी-1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी-2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है**
12	**13**
लागू नहीं.	लागू नहीं.

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन**	**चयन पद हो या गैर-चयन पद**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
5. प्रोग्रामर	1 (2025)	प्रशासनिक समूह बी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	**सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं**	**क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत के मामले में लागू होंगी?**	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो**
6	**7**	**8**	**9**
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	**पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा**
10	**11**
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) क) केंद्र/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी:- i. मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या ii. मूल संवर्ग/विभाग में लेवल 7 या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में 1 वर्ष की सेवा की हो; या iii. मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा की हो; तथा

	ख)निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले:- i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में बीई/बी.टेक . ii. एसक्यूएल और एनओएसक्यूएल दोनों में डेटाबेस डिज़ाइन, विकास और उपकरणों में अच्छा अनुभव के साथ तीन वर्षों का अनुभव और बिग डेटा, ईडीडब्ल्यू, डेटा लेक्स आदि और संबंधित तकनीकों जैसे अपाचे हाडोप, स्पार्क आदि का ज्ञान। डीईवीओपीएस, माइक्रो सर्विसेज, कंटेनराइजेशन (डॉकर / कुबेरनेट्स), जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जैसे एमईआरएन, एमईएए और एआई/एमएल जैसे नवीनतम उद्योग मानक प्रौद्योगिकी ट्रेंड की समझ। डेटा सर्वर का ज्ञान, साथ ही प्रमुख क्लाउड प्रदाताओं की क्लाउड सेवाओं का ज्ञान। **टिप्पणी-1** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यताया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी-2** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है**
12	13
लागू नहीं.	लागू नहीं.

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चाहे चयन पद हो या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
6. निजी सचिव	1 (2025)	प्रशासनिक समूह बी	वेतन मैट्रिक्स में लेवल -8	लागू नहीं

सीधी भर्ती की आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत के मामले में लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि; यदि कोई हो
6	7	8	9
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
10	11
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) क) केंद्र/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या

	स्वायत्त संगठनों के अधिकारी:- i. मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या ii. मूल संवर्ग/विभाग में लेवल 7 या समकक्ष पदों पर 2 साल की स्वीकृत सेवा के साथ; तथा iii. मूल संवर्ग/विभाग में लेवल 6 या समकक्ष पदों पर 4 साल की स्वीकृत सेवा के साथ; ख) अधिकारी को कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। **नोट-1** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट-2** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को '56 वर्ष से अधिक नहीं' होगी।
यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है**
12	13
लागू नहीं	लागू नहीं

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चाहे चयन पद हो या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
7. सहायक (प्रशासन)	2 (2025)	प्रशासनिक समूह बी	वेतन मैट्रिक्स में लेवल -7	लागू नहीं

सीधी भर्ती की आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत के मामले में लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि; यदि कोई हो
6	7	8	9
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
10	11
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) क) केंद्र/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी:- I. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों

	या II. मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा की हो); तथा III. मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 4 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 4 वर्ष की सेवा की हो); तथा ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए:- i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री। ii. किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालय/पीएसयू/स्वायत्त या सांविधिक संगठन/अनुसंधान संस्थान में लेखा, प्रशासन, स्थापना कार्यों में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव। **नोट-1** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट-2** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को '56 वर्ष से अधिक नहीं' होगी।
यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है**
12	13
लागू नहीं	लागू नहीं

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड और ग्रेड पे	चयन पद या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
8. लेखा सहायक	2 (2025)	प्रशासनिक समूह-'ख'	पे मैट्रिक्स में लेवल-7	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत के मामले में लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
10	11
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) क) केंद्र/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अंतर्गत अधिकारी:- i. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;

	या ii. मूल संवर्ग/विभाग में पे-मैट्रिक्स के लेवल-6 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 4 वर्ष की सेवा की हो); तथा iii. मूल संवर्ग/विभाग में पे-मैट्रिक्स के लेवल-5 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 4 वर्ष की सेवा की हो) ख) निम्नलिखित योग्यता धारक:- केंद्र/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के किसी भी विभाग/संगठन द्वारा आयोजित एसएएस या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण; 1) केंद्र/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के किसी भी विभाग/संगठन द्वारा आयोजित SAS या समकक्ष परीक्षा में पास होना। 2) आईएसटीएम या समकक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में रोकड़ और लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा रोकड़, लेखा और बजट कार्य में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पणी-1** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी एक्स कैडर पोस्ट पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी **टिप्पणी-2** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	**परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है**
12	13
लागू नहीं	लागू नहीं

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड और ग्रेड पे	चयन पद या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
9. तकनीकी सहायक	2 (2025)	प्रशासनिक समूह-'ख'	पे मैट्रिक्स में लेवल-7	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत के मामले में लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो तो
6	7	8	9
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
10	11
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) क) केंद्र/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत्त

	संगठनों के अधिकारी:- i. मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या ii. मूल संवर्ग/विभाग में लेवल-6 या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा की हो; तथा ख)निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव:- i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर एप्लिकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री; या ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में बीई/बीटेक। iii. किसी सरकारी कार्यालय/पीएसयू/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में C #, NET framework, HTML, MSSQL Server, Jawa, RDBMS (SQL Server) आदि का तीन वर्ष का कार्य अनुभव। **टिप्पणी-1** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य एक्स कैडर पोस्ट पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी-2** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है**
12	13
लागू नहीं	लागू नहीं

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड और ग्रेड पे	चयन पद या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
10. आशुलिपिक	2 (2025)	प्रशासनिक समूह-'ग'	पे मैट्रिक्स में लेवल-4	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत के मामले में लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	
10	11
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) क) केंद्र/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी:- i. मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना; ख) अधिकारी को कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। टिप्पणी-1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य एक्स कैडर पोस्ट पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी-2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
लागू नहीं	लागू नहीं

NATIONAL FARMERS WELFARE PROGRAM IMPLEMENTATION SOCIETY

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2025

F. No. 2-10/2020-FWS.—In exercise of the powers conferred by the provision to Governing Body under Societies Act 1860, National Farmers Welfare Program Implementation Society (A Society under Ministry of Agriculture & Farmers Welfare), makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A, B and C' posts in the National Farmers Welfare Program Implementation Society namely:-

1. Short title and commencement:- These rules may be called the National Farmers Welfare Program Implementation Society (a Society Under Ministry of Agriculture and Farmers)Welfare (Group 'A, B and C') Revised Recruitment Rules, 2025. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application:- These rules shall apply to the posts specified in **column (1) of schedule annexed to these rules.**

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix:- The number of the said posts, their classification, pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified **in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.**

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.:- The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified **in columns (5) to (13) of the said Schedule.**

5. Disqualification:- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. All these posts are to be filled on Deputation/Short term contract basis and shall be strictly co-terminus with PM-KISAN Scheme.

7. Power to relax:- Where the Management of NFWPIS is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, with the approval of Governing Body and in consultation with D/o Agriculture and Farmers Welfare, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the, D/o Agriculture and Farmers Welfare, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

PRAMOD KUMAR MEHERDA, Addl. Secy.(FW)

[ADVT.-III/4/Exty./570/2025-26]

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or Non-selection
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Chief Knowledge Officer	1 (2025)	Administrative Group A	Level-13 A in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
6	**7**	**8**	**9**
Not applicable	Not applicable	Not Applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
10	**11**
Deputation (ISTC)	Deputation (ISTC) a) Officers under the Central/State Governments/ Universities/Recognized Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/ Statutory or Autonomous organizations:- i. Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or ii. With 2 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 13 of Pay matrix or equivalent in the parent cadre/department); or iii. With 6 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 12 of Pay Matrix; and b) Possessing the following educational qualifications and experience:-

	i. Master's Degree in Computer Applications or M.Sc. (Computer Science/Information Technology) from a recognized University/Institute; or ii. B.E./B.Tech. (Computer Engineering/Computer Science/Computer Technology/Computer Science & Engineering/Information Technology) from a recognized University/Institute. iii. More than twelve years post qualification experience in IT Projects with at least 8 years experience in implementation of large database related IT or e-Governance projects. iv. Experienced in at-least 1 project implementation of the government in Data Analytics/ AI/ ML/ Data Science. v. Experience in application development, modern architecture, deployment, and operations. Desirable Qualifications:- a) Sound understanding of overall aspects of digital transformation about Business Re-engineering and functional ICT infrastructure requirements for implementation of robust IT solution. b) Drive emerging industry standard solution implementation/development in line with recommendations of Government of India in AI / ML /Cloud / Analytics /Data Science and others. c) Good experience in database design, development and tools in both SQL and NoSQL & knowledge of Big Data, EDW, Data Lakes etc. and associated technologies like Apache Hadoop, Spark, etc. d) Understanding of latest industry standard technology trends like Dev Ops, Micro services, Containerization (Docker / Kubernetes), JavaScript frameworks like MERN, MEAN and AI/ML. e) Knowledge of data Servers, as well as Cloud services of major Cloud providers. Note-1 The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note-2 The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
12	**13**
Not Applicable.	Not Applicable.

Name of the post	**Number of post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay**	**Whether selection post or Non-selection**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2. Treasurer	1 (2025)	Administrative Group 'A'	Level-13 in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes**	**Period of probation, if any**
6	**7**	**8**	**9**
Not applicable	Not applicable	Not Applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made**
10	**11**
Deputation (ISTC)	Deputation (ISTC) a) Officers of Central/State Governments/ Universities/Recognized Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/ Statutory or Autonomous organizations :- i. Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or ii. With 1 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 12 of Pay matrix or equivalent in the parent cadre/department); or iii. With 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 11 of Pay matrix or equivalent in the parent cadre/department); b) Possessing the following educational qualifications and experience: - i. Bachelor's Degree of a recognized University/ Institute. ii. 12 years of experience in financial management, treasury management, accounting, internal and external audit, office administration and human resource management. iii. The incumbent should be familiar with Government functioning for liaison and coordination. **Note-1** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note-2** The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
12	**13**
Not Applicable.	Not Applicable.

Name of the post	**Number of post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay**	**Whether selection post or Non-selection**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
3. Assistant Director (Administration)	1(2025)	Administrative Group B	Level-8 in the Pay Matrix	Not applicable

Age limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes**	**Period of probation, if any**
6	**7**	**8**	**9**
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made**
10	**11**
Deputation (ISTC)	Deputation (ISTC) a) Officers under the Central/State Governments/ Universities/Recognized Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/ Statutory or Autonomous organizations:- i. Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department or ii. With 2 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 7 of Pay matrix or equivalent in the parent cadre/department); or iii. with 6 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 6 of Pay matrix or equivalent in the parent cadre/department); and b) Possessing the following educational qualifications and experience:- i. Bachelor's Degree of a recognized University/Institute. ii. 2 years experience in Accounts, Administration, Establishment work in a Government/Semi-Govt. Offices/ PSU/Autonomous or Statutory organization/Research institutions. **Note-1** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note-2** The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
12	**13**
Not Applicable.	Not Applicable.

Name of the post	**Number of post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay**	**Whether selection post or Non-selection**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
4. Accounts Officer	1 (2025)	Administrative Group B	Level-8 in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes**	**Period of probation, if any**
6	**7**	**8**	**9**
Not applicable	Not applicable	Not Applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made**
10	**11**
Deputation (ISTC)	Deputation (ISTC) a) Officers under the Central/State Governments/ Universities/Recognized Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/ Statutory or Autonomous organizations :- i. Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or ii. With 2 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 7 of Pay matrix or equivalent in the parent cadre/department; or iii. With 4 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 6 of Pay matrix or equivalent in the parent cadre/department; or iv. With 5years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 5 of Pay matrix or equivalent in the parent cadre/department); and b) Possessing following qualifications:- i. A pass in the SAS or equivalent examination conducted by any one of the Departments/Organization of the Central/State Governments/ Universities/Recognized Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/ Statutory or Autonomous organizations. ii. Successful completion of training in the Cash and Accounts Work in the ISTM or equivalent training course and a minimum of 4 years experience in Cash, Accounts and Budget work. **Note-1** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note-2** The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
12	**13**
Not Applicable.	Not Applicable.

Name of the post	**Number of post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay**	**Whether selection post or Non-selection**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
5. Programmer	1 (2025)	Administrative Group B	Level-8 in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
6	**7**	**8**	**9**
Not applicable	Not applicable	Not Applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
10	**11**
Deputation (ISTC)	Deputation (ISTC) a) Officers under the Central/State Governments/ Universities/Recognized Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/ Statutory or Autonomous organizations:- i. Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or ii. With 1 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 7 or equivalent in the parent cadre/department; or iii. With 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 6 of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; and b) Possessing the following educational qualifications and experience:- i. Master's Degree in Computer Applications/ Information Technology/Computer Science from a recognized University/Institute; or B.E./ B.Tech in Computer Engineering/ Computer Science/Computer Technology/ Computer Science & Engineering/Information Technology from a recognized University/Institute. ii. Minimum three years experience in Good experience in database design, development and tools in both SQL and NoSQL & knowledge of Big Data, EDW, Data Lakes etc. and associated technologies like Apache Hadoop, Spark, etc. Understanding of latest industry standard technology trends like DevOps, Micro services, Containerization (Docker / Kubernetes), JavaScript frameworks like MERN, MEAN and AI/ML. Knowledge of data Servers, as well as Cloud services of major Cloud providers. **Note-1** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note-2** The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	**13**
Not Applicable.	Not Applicable.

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or Non-selection
1	**2**	**3**	**4**	**5**
6. Private Secretary	1 (2025)	Administrative Group B	Level-8 in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
6	**7**	**8**	**9**
Not applicable	Not applicable	Not Applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
10	**11**
Deputation (ISTC)	Deputation (ISTC) a) Officers under the Central/State Governments/ Universities/Recognized Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/ Statutory or Autonomous organizations:- i. Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or ii. With 2 years' of approved service in posts in Level 7 or equivalent in the parent cadre/department; or iii. With 4 years' of approved service in posts in Level 6 or equivalent in the parent cadre/department; or b) The official must possess the working knowledge of computer. **Note-1** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note-2** The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
12	**13**
Not Applicable.	Not Applicable.

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or Non-selection
1	**2**	**3**	**4**	**5**
7. Assistant	2 (2025)	Administrative	Level-7 in the Pay	Not applicable

(Administration)		Group B	Matrix	

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
6	**7**	**8**	**9**
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
10	**11**
Deputation (ISTC)	Deputation (ISTC) a) Officers under the Central/State Governments/ Universities/Recognized Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/ Statutory or Autonomous organizations:- i. holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department or ii. with 2 years' of approved service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 6 of Pay matrix or equivalent in the parent cadre/department);or iii. with 4 years' of approved service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 4 of Pay matrix or equivalent in the parent cadre/department) b) Possessing the following educational qualifications and experience:- i. Bachelor's Degree of a recognized University/ Institute. ii. Minimum 2 years experience in Accounts, Administration, Establishment works in a Government/Semi-Govt. Offices/ PSU/Autonomous or Statutory organization/Research institutions. **Note-1** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note-2** The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
12	**13**
Not Applicable.	Not Applicable.

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or Non-selection
1	**2**	**3**	**4**	**5**
8. Accounts Assistant	2 (2025)	Administrative Group B	Level-7 in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
6	**7**	**8**	**9**
Not applicable	Not applicable	Not Applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
10	**11**
Deputation (ISTC)	Deputation (ISTC) a) Officers under the Central/State Governments/ Universities/Recognized Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/ Statutory or Autonomous organizations :- i. Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department or ii. With 4 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 6 of Pay matrix or equivalent in the parent cadre/department) iii. With 4 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 5 of Pay matrix or equivalent in the parent cadre/department); and b) Possessing following qualifications:- i) A pass in the SAS or equivalent examination conducted by any one of the Departments/Organizations of the Central/State Governments/ Universities/Recognized Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/ Statutory or Autonomous organizations; ii) Successful completion of training in the Cash and Accounts Work in the ISTM or equivalent training course and a minimum of 3 years experience in Cash, Accounts and Budget work. **Note-1** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note-2** The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
12	**13**
Not Applicable.	Not Applicable.

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or Non-selection
1	**2**	**3**	**4**	**5**
9. Technical Assistant	2 (2025)	Administrative Group B	Level-7 in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
6	**7**	**8**	**9**
Not applicable	Not applicable	Not Applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
10	**11**
Deputation (ISTC)	Deputation (ISTC) a) Officers under the Central/State Governments/ Universities/Recognized Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/ Statutory or Autonomous organizations:- i. Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or ii. With 2 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 6 or equivalent in the parent cadre/department; and b) Possessing the following educational qualifications and experience:- i. Master's Degree in Computer Applications/ Information Technology/Computer Science from a recognized University/Institute; or ii. B.E./B.Tech in Computer Engineering/ Computer Science/Computer Technology/ Computer Science & Engineering/Information Technology from a recognized University/Institute. iii. Three years of working experience of C#, NET framework, HTML, MSSQL Server, Java, RDBMS (SQL Server) etc in a Government Office/PSU/ Autonomous Body/Statutory Body or in any recognized institution. **Note-1** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note-2** The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
12	**13**
Not Applicable.	Not Applicable.

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or Non-selection
1	**2**	**3**	**4**	**5**
10. Stenographer	2 (2025)	Administrative Group 'C'	Level-4 in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
6	**7**	**8**	**9**
Not applicable	Not applicable	Not Applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
10	**11**
Deputation (ISTC)	Deputation (ISTC) a) Officers under the Central/State Governments/ Universities/ Recognized Research Institutes/ Public Sector Undertakings/ Semi-Government/ Statutory or Autonomous organizations:- i. Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; b) The official must possess the working knowledge of computer. **Note-1** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note-2** The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
12	**13**
Not Applicable.	Not Applicable.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.30 14:32:02 +05'30'